2020/00146

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

राकेश मीना पुत्र श्री नारायण लाल मीना निवासी पटियानकापुरा पोस्ट मण्डाखेडा तहसील मासलपुर जिला करौली (राज0)

– अपीलाण्ट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, करौली – रेस्पोण्डेण्ट

मु.नं. 68/2020 किस्म मुकदमा–अपील सूचना का अधिकार अधि. 2005 ता.रजु. 14.12.2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.12.2020	अपीलाण्ट द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, करौली को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) तहत आवेदन प्रेषित कर खेडिया पंचायत में 2015 से 2019 तक संचालित नरेगा कार्य, कच्चे व पक्के कार्यो का विवरण, बिल व वाउचर बजट की प्रति चाही गई थी। प्रत्यर्थी द्वारा आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है। अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपील का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, करौली द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह अपील पेश की है। लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, करौली के प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला कलक्टर नहीं है। अतः अपील अस्वीकार की जाती है। अपीलार्थी संबंधित विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में अपील पेश कर सकता है। निर्णय की प्रति अपीलाण्ट को भिजवाई जावे। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, करौली	1558 23.12.2020